



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1011) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

3 सितम्बर 2015

एस०ओ० 207, दिनांक 3 सितम्बर 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 43 दिनांक 04 मई, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 43 दिनांक 04 मई, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-6 के स्तम्भ (2) की वर्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा :-

“देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर ”

2. विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 43 दिनांक 04 मई, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 8 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।

3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-20/2013(छाया-II)4924]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

3 सितम्बर 2015

एस०ओ० 208, एस०ओ० 207, दिनांक 3 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-20/2013(छाया-II)4925]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 3rd September 2015

S.O. 207 dated 3rd September 2015—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Departmental Notification number S.O. 43 dated 4th May, 2006 (as amended from time to time), namely—,

Amendments

1. The present entries of column (2) of serial number 6 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 43, dated 4th May, 2006 (as amended from time to time), shall be substituted by the following :-

" Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India "

2. Serial number 8 and its corresponding entries of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 43, dated 4th May, 2006 (as amended from time to time), is hereby deleted.

3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No. Bikri-kar/Sansodhan-20/2013(Chaya-II) 4924]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1011-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>